

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 67/2016

अपीलांट्स—

रिड़मलराम पुत्र धर्मराम जाति  
मेघवाल का तला, सनावड़ा  
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स —

1. गेमराराम पुत्र हेमाराम
2. कानाराम पुत्र हेमाराम
3. नेनू देवी पत्नी हेमाराम
4. दारूराम पुत्र मेहाराम
5. भीखाराम पुत्र मेहाराम
6. उमाराम पुत्र बांकाराम
7. मूलाराम पुत्र बांकाराम
8. कोशलाराम पुत्र बांकाराम
9. धन्नीदेवी पत्नी बांकाराम
10. उदाराम पुत्र शेम्भूराम
11. प्रकाश पुत्र शेम्भूराम
12. अनाराम पुत्र शेम्भूराम
13. भंवरी देवी पत्नी शेम्भूराम  
रेस्पो0 सं. 10से12 नाबालिग  
जरिये कुदरती वलिया माता  
रेस्पो0 सं. 13 भंवरीदेवी
14. जोधाराम पुत्र मगाराम
15. खेराजराम पुत्र मगाराम
16. जोधाराम पुत्र मोटाराम
17. गंगाराम पुत्र मोटाराम
18. हीरों बेवा ईशाराम
19. चेतनराम पुत्र इसराराम
20. गेनाराम पुत्र इसराराम
21. पेम्पों बेवा धीराराम
22. खंगारराम पुत्र धीराराम
23. आतमराम पुत्र धीराराम
24. केशाराम पुत्र कुम्भाराम
25. नवलाराम पुत्र कुम्भाराम
26. पेमाराम पुत्र कुम्भाराम



*Amsh*  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

27. कमला पुत्री वीरमाराम
28. अनु पुत्री वीरमाराम
29. हुरमी पुत्री वीरमाराम
30. गवरी पुत्री वीरमाराम
31. डाई पुत्री वीरमाराम
32. अमेदी पत्नी वीरमाराम  
रेस्पो0 सं. 27से31 नाबालिग जरिये  
कुदरती वलिया माता रेस्पो0 सं. 32  
अमेदी पत्नी वीरमाराम
33. प्रागाराम पुत्र उम्मेदाराम
34. मनुराम पुत्र उम्मेदाराम
35. राणाराम पुत्र उम्मेदाराम
36. डूंगराराम पुत्र उम्मेदाराम
37. रूखमणराम पुत्र उम्मेदाराम
38. भलाराम पुत्र धर्माराम
39. दीपाराम पुत्र धर्माराम
40. अचलाराम पुत्र धर्माराम
41. लालाराम पुत्र धर्माराम
42. पन्नाराम पुत्र मालाराम
43. पांचाराम पुत्र मालाराम
44. जेठाराम पुत्र लिछमणाराम
45. टीकमाराम पुत्र लिछमणाराम
46. झमकू बेवा लिछमणाराम
47. ओमाराम पुत्र अगराराम
48. माडू बेवा अगराराम  
जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का  
तला, सनावड़ा तहसील व जिला  
बाड़मेर
49. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955  
विरुद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/2015/1399-1401 दिनांक 23.06.2015  
जो अपीलाट्स व उत्तरदाता सं. 1 से 48 की संयुक्त खातेदारी की भूमि  
के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।



*Ansh*  
जिला कलकत्ता  
बाड़मेर

उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भवानीसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6से8, 16,17,22,25,34,35,37,40 व 47 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 49 की ओर से उपस्थित।
4. शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11/12/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 23.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई हैं।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा मेघवालों का तला के खेत खसरा नम्बर 953, 954, 955 रकबा क्रमशः 00-15, 212-00, 01-07 बीघा कुल रकबा 214-02 बीघा भूमि गेमरा, काना पि0 हेमा, नेनू पत्नी हेमा, दारू, भीखा पि0 मेहा, उमाराम, मूलाराम, कोशलाराम पि0 बांकाराम, उदाराम, प्रकाश, अनाराम पि0 शंभूराम नाबालिग जरिये वलीया भंवरी देवी पत्नी शेम्भुराम, जोधा, खेराज पि0 मगा, जोगा, गंगा पि0 मोटा, हीरों पत्नी ईसरा, चेतन, गेना पि0 ईसरा, पेम्पों पत्नी धीरा, खंगार, आतम पि0 धीरा, केशा, नवला, पेमा पि0 कुम्भा, कमला, भदु, हुरमी, गवरी, डाई नाबालिग की कुदरती वलीया अमेदी पत्नी वीरमा, प्रागाराम, मनुराम, राणाराम, डूंगराराम, रूखमणराम पि0 उमेदाराम, भलाराम, दीपाराम, रिडमलराम, अचलाराम, लालाराम पि0 धर्मराम, पना, पांचा पि0 माला, जेठा, टीकमा पि0 लिछमणा, झमकू बेवा पिदमणा, ओमा पुत्र अगरा, माडू बेवा अगरा, जोधाराम पुत्र मगाराम कौम मेघवंशी साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2015 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष बमुकाम सनावड़ा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान उपसरपंच, ग्राम पंचायत सनावड़ा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी सनावड़ा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है एवं कोई विवाद नहीं है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट

*ansh*

एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक : राजस्व/लो.अ./2015/1399-1401 दिनांक 23.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.06.2016 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्तागण एवं रेस्पोंडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा-काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। रेस्पोंडेंट्स ने अपीलांट्स को धोखे में रखकर छल व कपट से नक्शा में अपीलांट के भौतिक कब्जा के विपरित गलत तरमीम का बंटवाड़ा किया गया हैं। उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना मौके पर कब्जे की जांच किये ही स्वीकृति जारी कर दी तथा नामान्तरकरण भी पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उत्तरदातागण के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया हैं न ही कब्जा अनुसार है, तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा-काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि उत्तरदाता के हिस्से में चले गये हैं। अपीलाधीन विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया हैं बल्कि उत्तरदातागण के दबाव में रहते हुए अच्छी किस्म की भूमि अपने हिस्से में रखते हुए किया गया है, इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा में तरमीम करने में राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ



*Amsh*  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स को आलौच्य बंटवाड़ा के स्वीकृत होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी एवं अपीलांट अपने पूर्ववर्ती कब्जे अनुसार ही आज दिन तक विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार हैं। अर्सा 20-25 दिन पूर्व जब उत्तरदातागण ने मिलकर अपीलांट के कब्जे-काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तब दोनो पक्षकारों में विवाद हुआ, तब उत्तरदातागण नें बताया कि बंटवाड़ा अनुसार कब्जा-काश्त करेंगे। इस पर अपीलांट ने विभाजन कार्यवाही की नकलें प्राप्त की जो दिनांक 03.06.2016 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि सम्यक तत्परता व सद्भावना से पेश की हैं फिर भी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 23.06.2015 निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारान की सहमति एवं कब्जे-काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन आपसी सहमति से पारित करवाया गया हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न जो नक्शा पेश किया गया था, उसका ज्ञान अपीलांट व उतरदाता दोनो को भली-भांति रहा हैं। अपीलाधीन विभाजन इकरारनामा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2015 के दौरान मजमेआम में तैयार किया जाकर समस्त खातेदारान की सम्पूर्ण सहमति के आधार पर स्वीकृत किया गया हैं तथा एकबार सहमति दिये जाने के बाद लोक अदालत के अन्तर्गत जारी आदेश की विरुद्ध यह अपील कतई श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें।

7. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2015 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी



*Amk*

जिला कलक्या  
बाड़मेर

रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकॉर्ड में अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकॉर्ड में दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना है। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई है जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ छाप अंकित कराये गये हैं जिसमें अधिकांश पक्षकारान ने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत केवल वे ही अंतिम आदेश अपील योग्य होंगे जो तृतीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी प्रार्थना पत्र में पारित किये गये हैं। इसके अलावा तृतीय अनुसूची में उल्लेखित के सिवाय अन्य किसी आदेश की अपील धारा 222 में यथाविहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुज्ञेय ही नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया है। पक्षकारान द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने-अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के छः वर्ष बाद राजस्व रेकॉर्ड में फेरबदल कराने हेतु पुनः सहमत हो रहे हैं, जबकि अधिनियम की तृतीय अनुसूची में तहसीलदार द्वारा धारा 53(2)(i) के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, इस आधार पर सहमति विभाजन इकरारनामा के तस्दीक आदेश के विरुद्ध धारा 225 के अधीन अपील कतई अनुज्ञेय नहीं है साथ ही अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल-कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वयं उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हें तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 222 के तहत अनुज्ञेय नहीं होने के साथ ही सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।



Amr  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील विधि के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नहीं होने एवं सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Amk*

( अंशदीप )  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
**जिला कलक्टर**  
**बाड़मेर**

